कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 2569/289/आउशि/सम./2022 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14/01/202

प्रति,

1. कुलसचिव
समस्त राजकीय /निजी विश्वविद्यालय छ.ग.।
2. प्राचार्य,
समस्त शासकीय/ अशासकीय महाविद्यालय छ.ग.।

विषय :– विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के संचालन के संबंध में

संदर्भ :– अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक एफ 17–4/2020/38–1 दिनांक 13.01.2021

-----000-----

उपर्युक्त विर्षयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा कोविड–19 की महामारी के संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन, प्रदेश के राजकीय/निजी विश्वविद्यालयों एवं शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षा 2021–22 में अध्ययन एवं अध्यापन तथा परीक्षाओं के संबंध में जारी पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है ।

रोस्टर ड्यूटी वाले दिवसों पर शैक्षणिक अमले द्वारा शिक्षण कार्य महाविद्यालय से एवं शेष दिवसों में निवास से ही ऑनलाईन अध्यापन कार्य महाविद्यालय के समय–सारिणी अनुसार नियत समय पर लिया जावे। इसी प्रकार महाविद्यालय के गैर–शैक्षणिक कार्य रोस्टर ड्यूटी अनुसार उपस्थित कर्मचारियों द्वारा महाविद्यालय में उपस्थित होकर किया जायेगा किन्तु शेष समस्त कर्मचारी वर्क–फ्रॉम होम पद्धति से दूरभाष/ऑनलाईन प्रक्रिया से कार्यों मे सहयोग करेंगे।

ऑन लाईन अध्यापन कार्य की मानिटरिंग हेतु लिंक /वेब प्लेटफार्म की सूचना प्राचार्य को दिया जाना अनिवार्य होगा।

ऑन लाईन अध्यापन कार्य की मानिटरिंग प्राचार्य स्वयं करेगें । प्राचार्य ऑन लाईन अध्यापन के दौरान स्वयं लिंक के माध्यम से संबंधित कक्षाओं में जुडकर कक्षाओं की मानिटरिंग करेंगें । विश्वविद्यालय अपने अधीनस्थ निजी महाविद्यालयों एवं अध्ययन शालाओं की ऑन लाईन कक्षाओं की मानिटरिंग करेगें । ऑनलाईन कक्षाओं की मानिटरिंग की जानकारी उच्च शिक्षा विभाग को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं शासन द्वारा जारी सभी निर्देशों का कडाई से पालन करना सुनिश्चित करें ।

(आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :– पत्र की छायाप्रति।

14.1.2022

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रापुर अटल नगर (छ.ग.)

c:\users\acer\desktop\desktop\desktop\27-10-2017\letter note sheet 2020 (26-03-2)\letter 05-12-2020.docx821

पृ0कमांक/1470/289 /आउशि/सम/2022 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 14/01/2022
प्रतिलिपि :—

1. सचिव छ.ग. शासन उच्च षिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर को संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक ,क्षेत्रीय कार्यालय,रायपुर,बस्तर दुर्ग,बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. सचिव , छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग,शांति नगर रायपुर छ.ग.।

14.1.2022
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रापुर अटल नगर (छ.ग.)

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

गांधी चौक के पास, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) 495001
फोन 07752-220007, 220031, 220032, 220033, 220037, 220014 फैक्स. 07752-220031, 260294
ई—मेल : registrar@bilaspuruniversity.ac.in Website : www.bilaspuruniversity.ac.in

पृ.क्र./ 93 /स्था.प्रशा./2022 बिलासपुर, दिनांक 14/01/2022
प्रतिलिपिः—

1. कुलपति महोदय के सचिव को, माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. प्राचार्य, समस्त संबद्ध शासकीय महाविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्राचार्य, समस्त संबद्ध अशासकीय महाविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. विभागाध्यक्ष (समस्त) विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को उनके संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में सादर सूचनार्थ।
6. अपर संचालक, उच्च शिक्षा (क्षेत्रीय कार्यालय) शा.ई.रा.रा. स्नातकोत्तर (विज्ञान) महाविद्यालय, सीपत रोड़, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
7. विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड/कार्यालयीन प्रति हेतु।

14.1.22
कुलसचिव

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
——0000——
//आदेश//

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13/01/2022

क्रमांक एफ 17–04/2022/38–1 : कोविड–19 की महामारी के संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन, प्रदेश के राजकीय/निजी विश्वविद्यालयों एवं शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में में शिक्षा सत्र 2021–22 में अध्यापन एवं अध्ययन तथा परीक्षाओं के संबंध में निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये जाते है :–

1. विद्यार्थियों की भौतिक उपस्थिति तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करते हुए समस्त कक्षाओं का संचालन ऑनलाईन पद्धति से सुनिश्चित किया जावे।
2. शैक्षणिक/अशैक्षणिक अमले को एक–तिहाई रोस्टर पद्धति से उपस्थित रहने का निर्देश जारी किया जावे।
3. रोस्टर ड्यूटी वाले दिवसों पर शैक्षणिक अमले द्वारा शिक्षण कार्य महाविद्यालय से एवं शेष दिवसों में निवास से ही ऑनलाईन अध्यापन कार्य महाविद्यालय के समय–सारिणी अनुसार नियत समय पर लिया जावे। इसी प्रकार महाविद्यालय के गैर–शैक्षणिक कार्य रोस्टर ड्यूटी अनुसार उपस्थित कर्मचारियों द्वारा महाविद्यालय में उपस्थित होकर किया जायेगा किन्तु शेष समस्त कर्मचारी वर्क–फ्रॉम होम पद्धति से दूरभाष/ऑनलाईन प्रक्रिया से कार्यों में सहयोग करेंगे।
4. शिक्षा सत्र 2021–22 के सेमेस्टर पद्धति वाले सभी पाठ्यक्रमों की प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाईन/ब्लेन्डेड मोड में आयोजित की जावे। विश्वविद्यालयों द्वारा इस संबंध में उनकी कार्य परिषद के अनुमोदन से विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये जावे।
5. किसी भी स्थिति में अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अवकाश स्वीकृति कराये बिना तथा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय का त्याग नहीं किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)
अवर सचिव

पृ.क्र.एफ 17–04/2022/38–1 नवा रायपुर अटल नगर,दि. 13/01/2022

प्रतिलिपिः–

01. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, रायपुर,
02. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर,
03. कुलपति, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
04. कुलपति, कुशाभाऊ ठाकरे, पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, काठाडीह, रायपुर,
05. कुलपति, पं. सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्विद्यालय, कोनी–बिरकोना मार्ग, बिलासपुर,
06. कुलपति, अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर,
07. कुलपति, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर,
08. कुलपति, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, अंबिकापुर,
09. कुलपति, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, राजनांदगांव,
10. कुलपति, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग,
11. समस्त निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति ।
12. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर। कृपया संबंधित शिक्षण संस्थाओं को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
13. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़,
14. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
15. सचिव, छत्तीसगढ निजी विश्वविद्यालय, विनियामक आयोग, मधुपिल्ले चौक, शांति नगर, रायपुर
16. माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक,
17. समस्त कुलसचिव, राजकीय/निजी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़,
18. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
19. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर,

की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

13/1

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग